



डॉ भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पंत्राक: सम्बद्धन/ ३४४/१०
दिनांक: २८ /०६/२०१०/१०

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य/निदेशक,
आरोपी०एम० महाविद्यालय,
कोटा रोड, हाथरस।

महोदय,

अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-२, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पत्र संख्या सम्ब०-६१०/सत्तर-२-२०१०-२-(११७)/२००८ लखनऊ दिनांक 27 अप्रैल, 2010 कार्यालय ज्ञाप के द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपर्युक्त संदर्भित रिट यहाँकाओं में पारित आदेश दिनांक 17.11.2008 एवं 15.06.2009 को संज्ञान में रखते हुए याची संस्था के प्रत्यावेदनों पर सुसंगत शासनादेशों के तहत सम्बद्ध ढंग से पुनर्विचारोपरान्त राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2007) की धारा 37(2) के “परन्तुके” अधीन आपके महाविद्यालय को स्वयंसित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकायान्तर्गत बी०एड० पाठ्यक्रम में सत्र 2008-2009 से उक्त पत्र में उल्लिखित चार शर्तों के अधीन 100 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी गई है।

उत्तर प्रदेश शासन के उक्त सन्दर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि विश्वविद्यालय द्वारा आपके महाविद्यालय को उपर्युक्त पाठ्यक्रम में सम्बद्धता इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि प्रबन्धतंत्र शासन के उक्त पत्र दिनांक 27.04.2010 में उल्लिखित निम्नलिखित शर्तों को निर्धारित अवधि में पूर्ण कर लेगा।

1. संस्था शासनादेश संख्या-२८५१/सत्तर-२-२००३-१६(९२)/२००२, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेशों में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापिस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
3. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता की सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
4. विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता विस्तारण के आदेश निर्गत किये जाने के पूर्व शासनादेश दिनांक 12.07.2005 के अनुसार शिक्षकों से शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जायेगा।

यदि प्रबन्धतंत्र शासन के उक्त वर्णित पत्र में इंगित किमियों को समयान्तर्गत पूर्ण नहीं करता है तो सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

उपर्युक्त के अनुसार कृपया आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

४४-२५.६.१०
सहायक कुलसचिव (सम्बद्धन)
राज्य
राज्य
राज्य

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित:-

- 1-सहायक कुलसचिव/उपकुलसचिव/परीक्षा, गोपनीय, शैक्षिक, प्रकाशन, लेखा।
- 2-निजी सचिव कुलपति।
- 3-श्रीत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा मण्डल, जिला पंचायत परिसर, बालूगंज, आगरा।
- 4-अधीक्षक, एकेडमिक विभाग (कार्य परिषद)।

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धन)